

कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
छत्तीसगढ़ रायपुर  
परिपत्र

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में प्रमुख अभियंता के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् कई बार मुझे विभागीय दायित्वों के निर्वहन में सीधे अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता/उप अभियंता स्तर तक के अधिकारियों को आवश्यकतानुसार निर्देश देकर जनहित के कार्यों का सम्पादन कराने हेतु बाध्य होना पड़ता है। जब इस प्रकार का निर्देश संबंधितों को दिया जाता है, तब उन्हें निर्देश पालन के साथ-साथ अपने नियंत्रक अधिकारी को इस सम्बन्ध में मौखिक अथवा लिखित रूप में अनिवार्य रूप से सूचित करना चाहिए।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 (1)(दो) में भी उल्लेखित है, कि कोई भी शासकीय सेवक अपने पदीय कर्तव्यों के पालन करने के पश्चात् दृष्टान्तसम्भव शीघ्र उस निर्देश का लिखित पुष्टिकरण प्राप्त करेगा। फिर भी बहुतायत अधिकारी इन निर्देशों से विमुख रहते हैं, जिसके कारण दिग्भ्रमित की स्थिति निर्मित हो जाती है। अतः विभाग के समस्त अधिकारियों से अपेक्षा है, कि अपने उत्तरदायित्वों में खरे उतरे एवं मेरे द्वारा सीधे निर्देश दिये जाने पर उसका पालन करते हुए तत्काल वस्तुस्थिति से अपने नियंत्रक अधिकारी को अवगत करावें।

( आर.एन. गुप्ता )

प्रमुख अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ०क०. 3046 /व.नि.स./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2006 रायपुर, दिनांक 15.05.2006

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय रायपुर को ओर सूचनार्थ।
2. समस्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं कड़ाई से पालन हेतु अनुरोधित। कृपया आपके अधीनस्थ कार्यरत उप अभियंताओं को तदनुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. इस कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं शाखा प्रमुख की ओर सूचनार्थ।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी शाखा

( आर.एन. गुप्ता )

प्रमुख अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
छत्तीसगढ़ रायपुर